

Date : 09-02-2015

केन्द्र सरकार के नियमों द्वारा तय फार्म
फार्म- 'ए'

सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत सूचना लेने के लिए

सेवा में,

केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
नई दिल्ली।

(नार्कत सीपीआईओ डाक अधीक्षक, हिसार)

1.	दरखास्तकर्ता का नाम	राकेश वर्मा
2.	पूरा डाक का पता	रानिया गेट, नजदीक मारूति मंदिर, सिरसा (हरियाणा), मो. 9466763007
3.	सूचना का विषय	तोशाखानों में जमा करवाए गए उपहार आदि के बारे में।
क.	मांगी गई सूचना का विवरण	1. एक जनवरी, 2012 से आज दिनांक तक जो-जो केंद्रीय मंत्री, सांसद व प्रधानमंत्री, सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की, उस दौरान विदेशों से मिले उपहार जोकि तोशाखाना में जमा करवाए गए हों, उन सभी का भिन्न-भिन्न पूर्ण विवरण प्रदान करें। 2. पिछले तीन वर्षों में सरकारी खर्च पर निजी होटलों/लॉज अथवा अन्य में ठहरे सांसदों, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों या अन्य का विवरण प्रदान करें, जिसमें ठहरने वाले का नाम, पद, उस दौरान खर्च की गई राशि का विवरण तारीखवार प्रदान करें व उनके बिलों की सत्यापित प्रतियां प्रदान करें।
ख.	मांगी गई सूचना की अवधि	नामालूम
	सूचना डाक में या दस्ती चाहते हैं	डाक द्वारा चाहते हैं।
	दरखास्त की फीस का विवरण (पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट नं., नकद रसीद नं.)	

स्थान : सिरसा

दिनांक : 09 फरवरी, 2015



भारतीय डाक
India Post

आवेदनकर्ता

राकेश वर्मा

रानिया गेट, नजदीक मारूति मंदिर,
सिरसा (हरियाणा), मो. : 9466763007

By Registered Post



विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

Dated: 12.03.2015

No. Q/TK/551/01/2015

Shri Rakesh Verma,
Raniya Gate, Ner Maruti Mandir,
Sirsa, Haryana

Subject: Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 09/02/2015 (received on 26 February from Prime Minister's Office) seeking information regarding the gifts deposited in Toshakhana.

2. Toshakhana deals only with official gifts received from foreign sources by Members of Parliament, Ministers (including Prime Minister), Vice President and officials of Government of India. The reply to your aforementioned application is given herewith point wise :-

1: The details of all the gifts (received from foreign sources either in India or outside) received in Toshakahan since 1st July 2013 upto 31st December, 2014 mentioning their assessed value is available on MEA's website and can be seen on the following hyperlink:-

<http://mea.gov.in/disclosure-of-gifts-received-in-toshakhana.htm>.

Information on this website is uploaded on quaterly basis. The information regarding names of the source countries cannot be disclosed as the Ministry of External Affairs has been allowed by CIC in its order No. CIC/AD/C/2009/000802 dated 21st December, 2009 (available on CIC's website) **to sever the information about the name/s of the donor of the gift viz. the name/s of the countries which had presented the gifts** in terms of the provisions of Section 10 (1) of the RTI Act, 2005. The information about the Gifts received in Toshakhana (from foreign sources either in India or outside) from January 2012 upto June, 2013 is not readily available. It will have to be compiled. However, under RTI Act, 2005, the Public Authority is not required to collate information but to provide information as it already exists since collating the information will disproportionately divert resources of the Public Authority for which exemption has been provided under Section 7 (9) of the RTI Act, 2005.


2.: Does not pertain to Toshakhana.

3. In case you intend to prefer an appeal on the information provided by the under mentioned CPIO, the same may be preferred to the Appellate Authority Shri Sugandh Rajaram, Director (Establishment), Room No. 4051, Jawaharlal Nehru

O/c

Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi - 110011 within 30 days of receipt of this letter.

Yours faithfully,



(Rajesh Kapoor)

DS (Prop-II, OdA & Toshakhana) & CPIO

Copy to:- RTI Cell, Room No-2021, A- Wing,
Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi .

XIPib
13/3/15

सं. क्यू/टी.के./551/01/2015

दिनांक: 12.03.2015

श्री राकेश वर्मा,
रानिया गेट, मारूति मंदिर के समीप,
सिरसा, हरियाणा,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया दिनांक 09.02.2015 के अपने आरटीआई आवेदन (जो प्रधानमंत्री कार्यालय में 26 फरवरी को प्राप्त हुआ) का अवलोकन करें जिसमें आपने तोशाखाने में जमा उपहारों के संबंध में जानकारी मांगी है ।

2. तोशाखाने में संसद सदस्यों, मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित), उप-राष्ट्रपति तथा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशी स्रोतों से प्राप्त केवल सरकारी उपहार ही रखे जाते हैं । आपके उपर्युक्त आवेदन का बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार है :-

1: 1 जुलाई, 2013 से 31 दिसंबर, 2014 तक तोशाखाना में प्राप्त (विदेशी स्रोतों से भारत में अथवा भारत से बाहर के देशों में प्राप्त) सभी उपहारों के उनके आकलित मूल्यों सहित ब्यौरा विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित हाइपरलिंक पर देखा जा सकता है :-

<http://mea.in/disclosure-of-received-intoshakhana.htm>.

इस वेबसाइट पर सूचना तिमाही आधार पर उपलोड की जाती है । उपहार देने वाले देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेश मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 10(1) के उपबंधों के अनुसार उपहार देने वालों के नाम अर्थात् उन देशों के नाम जिन्होंने उपहार दिए हैं, से संबंधित सूचना को अलग रखने के लिए सीआईसी द्वारा दिनांक 21 दिसंबर, 2009 (सीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के आदेश सं0 सीआईसी/एडी/सी/2009/000802 के जरिए अनुमति दी गई है । तोशाखाना में (विदेशी स्रोतों से भारत में अथवा बाहर के देशों में) जनवरी, 2012 से जून, 2013 तक प्राप्त उपहारों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । इस सूचना को संकलित करना होगा । हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, किसी जन अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह सूचना एकत्र करे बल्कि उससे यही अपेक्षा होती है कि वह पहले से उपलब्ध सूचना प्रदान करें क्योंकि सूचना एकत्र करने के कार्य में जनअधिकारी के संसाधनों का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग होगा जिसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के तहत छूट प्रदान की गई है ।

2. यह तोशाखाना से संबंधित नहीं है ।

3. यदि आप निम्नलिखित सीपीआईओ द्वारा दी गई सूचना के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी श्री सुगंध राजाराम, निदेशक,

(स्थापना), कमरा सं0 4051, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली-110011 को अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,

राजेश कपूर

(राजेश कपूर)

उपसचिव (प्रो-॥,ओडीए तथा तोशाखाना) तथा सीपीआईओ

प्रतिलिपि :- आरटीआई सैल, कमरा नं. 2021, A- विंग, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी जनपथ, नई दिल्ली ।